



2026:AHC:20847

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 1237 सन् 2026

सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी सी.पी. 29 कृष्ण कुमार तिवारी.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: शिवकांत

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री शिवकांत और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी जन्मतिथि 22.01.1949 है और उन्हें 31.12.1972 को आरक्षी नियुक्त किया गया था, 20.07.1985 को मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नत किया गया और 31.01.2009 को वे सेवानिवृत्त हुए। उनके विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 409 के अन्तर्गत मामला संख्या 41 सन् 2006 अभिलेखित किया गया था और इसके बाद याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें 30.07.2022 के आदेश द्वारा उक्त आपराधिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था और उत्तरदाता की अपील को 22.02.2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन, ओराई द्वारा निरस्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी पेंशन 01.01.2016 से पुनर्निर्धारित की जानी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।
3. इस रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता की पेंशन को 01.01.2016 से पुनः निर्धारित करें, जो कि सरकार के दिनांक 18.07.2017 और 09.04.2017 के आदेशों और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2025 को जारी किए गए पत्र के अनुरूप हो।
4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रथम दृष्ट्या उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा किया जाना चाहिए।
5. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे। उत्तरदाता इस अभ्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। यदि उत्तरदाता संख्या 3 को यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के बाद संबंधित प्राधिकारी को कागजात भेजे जाएंगे।

30 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"